न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :– 170/2025 जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2025/339
दायर दिनांक :– 15.07.2025 निर्णय दिनांक :– 14.08.2025

1. बसीदेवी पत्नी बीरबलराम जाति विश्नोई निवासी तालरिया तहसील बाप जिला फलोदी
2. मदनराम पुत्र बीरबलराम जाति विश्नोई निवासी तालरिया तहसील बाप जिला फलोदी
3. रामलाल पुत्र बीरबलराम जाति विश्नोई निवासी तालरिया तहसील बाप जिला फलोदी
4. राजूराम पुत्र बीरबलराम जाति विश्नोई निवासी तालरिया तहसील बाप जिला फलोदी
5. भोजद पुत्र बीरबलराम जाति विश्नोई निवासी तालरिया तहसील बाप जिला फलोदी
6. मेनका पुत्री बीरबलराम जाति विश्नोई निवासी तालरिया तहसील बाप जिला फलोदी

–वादीगण

बनाम

राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

–प्रतिवादी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,15एएए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थितः– 1. श्री बुधाराम विश्नोई अधिवक्ता वादीगण
2 पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

–:: निर्णय ::–

वादीगण ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,15एएए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आशय से पेश किया है कि वादीगण के नाम ग्राम तालरिया पटवार क्षेत्र बोडाना में खसरा नम्बर 2000/3018 रकबा 48–00 बीघा भूमि गैर खातेदारी की स्थित है। उक्त भूमि वादी संख्या 1 के पति एवं वादीगण संख्या 2 ता 6 के पिता वीराराम पुत्र कोजाराम के नाम आवंटन हुई थी और उसी दिन मौके पर कब्जा वादीगण के पूर्वज ने प्राप्त कर लिया था।उक्त आवंटन के आधार पर वादीगण के पूर्वज वीराराम पुत्र कोजाराम के पक्ष में नामान्तरकरण भरा जाकर स्वीकृत हुआ। उक्त नामान्तरकरण भरते समय पटवारी हल्का ने सरासर गलत तरीके से नामान्तरकरण के कॉलम संख्या 9 में उक्त भूमि के पूर्व खातेदारी वादीगण के पूर्वज वीराराम को गैर खातेदार दर्ज कर दिया जबकि वादीगण उक्त भूमि पर आवंटन से लेकर आजदिन कब्जा व काश्त शांतिपूर्वक चला आ रहा है। उक्त भूमि पर वादीगण की रहवासीय ढाणी, पानी का टांका व पशुओं के बाड़े इत्यादि बने हुवे है जिसमें वादीगण अपने परिवार सहित बारह ही मास निवास करते आ रहे है तथा बरसात के समय में काश्त का प्राकृतिक पैदावार का उपयोग व उपभोग करते आ रहे है। श्रीमान एस.डी.ओ. पोकरण के आदेश कमांक 1062–1142/राजस्व/78 दिनांक 07.10.1978 के द्वारा वादीगण के पूर्वज को खातेदारी अधिकार प्रापत हुवे थे लेकिन आगामी राजस्व अभिलेख में गिरदावरी सम्वत 2063 से 2066 तैयार करते समय तत्कालीन पटवरी हल्का द्वारा वादीगण के पूर्वज को पुनः गैर खातेदार दर्ज कर दिया जो आज दिन तक चला आ रहा है। वर्तमान में वीराराम उर्फ बीरबलराम पुत्र कोजाराम फौत हो चुके है और उक्त भूमि जरिये विरासत नामान्तरकरण संख्या 472 मौजा तालरिया के वादीगण को प्राप्त हुई है। इसलिये वादीगण ग्राम तालरिया पटवार क्षेत्र बोडाना तहसील बाप के खसरा

सहायक कलेक्टर

नम्बर 2000/3018 रकबा 48-00 बीघा भूमि में गैर खातेदारी से खातेदारी की घोषणा करवाने के अधिकारी है जिसका यह दावा पेश है।

वाद प्रस्तुत होने पर सिमेदार की रिपोर्ट ली जाकर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये समन तलब किया गया। समन वाद तामिल प्राप्त होने पर प्रतिवादी पैरोकार सरकार ने जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी पैरोकार सरकार ने जवाब में बताया कि ग्राम तालरिया की गिरदावरी चौसाला सम्वत 2059-2062 में उक्त भूमि खसरा नम्बर 2000/3018 रकबा 75-00 बीघा वीराराम पुत्र कोजाराम जाति विश्नोई के नाम से खातेदार दर्ज है लेकिन गिरदावरी चौसाला सम्वत 2063 से 2066 में वीराराम पुत्र कोजाराम जाति विश्नोई खसरा नम्बर 2000/3018 रकबा 48-00 बीघा गैर खातेदार दर्ज है। पटवारी हल्का द्वारा मौका जांच में पाया गया कि ग्राम तालरिया के खसरा नम्बर 2000/3018 रकबा 48-00 बीघा खेत के चारों तरफ तारबंदी कर कब्जा किया हुआ है जो वादीगण का कब्जा व काश्त है। उक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भू-राजस्व बकाया नहीं होने से वादी को गैर खातेदार से खातेदार दर्ज किया जाना उचित है। चूंकि वादीगण के वाद का प्रतिवादी की तरफ से कोई प्रतिरोध नहीं होने से पत्रावली में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। वादीगण संख्या 2 भंवराराम के बयान पी.डब्लू-1 एवं हजारीराम पुत्र परमाराम के बयान पी.डब्लू-2 कलमबद्ध किये जाकर शामिल पत्रावली किये गये। पत्रावली बहस में रखी गई।

वकील वादीगण ने अपनी बहस में वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम तालरिया पटवार क्षेत्र नोख तहसील बाप के खसरा नंबर 2000/3018 रकबा 48-00 बीघा भूमि वर्तमान में वादीगण के नाम दर्ज राजस्व अभिलेख गैर खातेदार दर्ज है। वादग्रस्त भूमि वादीगण के पूर्वज को आवंटन के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 62 के जरिये दर्ज की गयी। जो वर्तमान में वादीगण के नाम विरासत नामान्तरकरण के की दर्ज है। वादग्रस्त भूमि पूर्व में गिरदावरी चौसाला 2059-2062 में खातेदारी की दर्ज थी परन्तु गिरदावरी चौसाला सम्वत 2063-2066 तैयार करते समय वादीगण के पूर्वज को खातेदार से गैर खातेदार दर्ज कर दिया गया। वादग्रस्त भूमि पर वादीगण का कब्जा काश्त आज दिन तक लगातार चला आ रहा है जो तथ्य तहसीलदार बाप के जवाब से साबित है। इसलिए वादीगण को गैर खातेदार से खातेदार घोषित किये जाने के आदेश फरमावे।

प्रतिवादी सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि ग्राम तालरिया की गिरदावरी चौसाला सम्वत 2059-2062 में उक्त भूमि खसरा नम्बर 2000/3018 रकबा 75-00 बीघा वीराराम पुत्र कोजाराम जाति विश्नोई के नाम से खातेदारी दर्ज है। लेकिन गिरदावरी चौसाला सम्वत 2063 से 2066 में वीराराम पुत्र कोजाराम जाति विश्नोई खसरा नम्बर 2000/3018 रकबा 48-00 बीघा गैर खातेदार दर्ज है। पटवारी हल्का द्वारा मौका जांच में पाया गया कि ग्राम तालरिया के खसरा नम्बर 2000/3018 रकबा 48-00 बीघा खेत के चारों तरफ तारबंदी कर कब्जा किया हुआ है जो वादीगण का कब्जा व काश्त है। उक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भू-राजस्व बकाया नहीं होने से वादीगण को गैर खातेदार से खातेदार दर्ज किया जाना उचित है।

अधिवक्ता वादीगण एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी जाकर पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात एवं पैरोकार सरकार के जवाब का अवलोकन किया जिससे यह साबित है कि उक्त वादग्रस्त

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

[illegible]

आदेश

[illegible]

[illegible]

[illegible]

डिगरी बमुकदमे इब्तदाई

(आदेश 21 नियम 6, 7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप जिला फलोदी

बइजलास पीठासीन अधिकारी श्री सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

1 बसीदेवी पत्नी बीरबलराम जाति विश्नोई निवासी तालरिया तहसील बाप जिला फलोदी
2 भंवरराम पुत्र बीरबलराम जाति विश्नोई निवासी तालरिया तहसील बाप जिला फलोदी
3 रामलाल पुत्र बीरबलराम जाति विश्नोई निवासी तालरिया तहसील बाप जिला फलोदी
4 राजूराम पुत्र बीरबलराम जाति विश्नोई निवासी तालरिया तहसील बाप जिला फलोदी
5 श्रीचंद पुत्र बीरबलराम जाति विश्नोई निवासी तालरिया तहसील बाप जिला फलोदी
6 मेनका पुत्री बीरबलराम जाति विश्नोई निवासी तालरिया तहसील बाप जिला फलोदी

—वादीगण

बनाम

1 राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी —प्रतिवादी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,15एएए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मुकदमा संख्या–170 / 2025

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कराई रूबरू मेरे सुखाराम पिण्डेल पीठासीन अधिकारी व ... मिनजानिब मुदायलहा पेश होकर हाजिर श्री बुधाराम विश्नोई मिनजानिब मुदई व प्रतिवादी पैरोकार सरकार मिनजानिब मुदायलहा पेश होकर हुक्म दिया जाता है एवं डिक्री दी जाती है कि वाद वादी स्वीकार किया जाता है कि ग्राम तालरिया पटवार क्षेत्र बोडाना तहसील बाप के खसरा नंबर 2000 / 3018 रकबा 48–00 बीघा भूमि में वादीगण को गैर खातेदार से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार बाप वादीगण के नाम बकाया राजस्व मांग (यदि हो तो) राजकोष में जमा करवाकर खातेदारी अधिकारों का नामान्तरकरण खोल कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कर आदेश की पालना करें। नीचे

मुतालिक खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर वसूल याबी तक	बाबत् फीस सदी सालाना आज की तारीख को अदा करे।

बसबब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 14.08.2025 जारी की गई।

14/8/25

(सुखाराम पिण्डेल R.A.S.)

सहायक कलक्टर बाप (फलोदी)

सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनताना वकील		
मेहनताना वकील			खर्चा वाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजान			मिजान		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्च यह हो फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो न तो दर्ज किया जावे।